प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

सुरक्षित किया गया : 20–09–2024

पारित किया गया : 20–12–2024

दाण्डिक पुनरीक्षण सं 964 / 2018

1 – विजय बर्मन पिता दुजेराम बर्मन ,38 वर्ष निवासी –परसादा, पुलिस थाना–हसौद, जिला–जांजगीर–चंपा, छत्तीसगढ़।, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

–––आवेदक

बनाम

1 – छत्तीसगढ़ राज्य , थाना प्राभारी के द्वारा –थाना प्राभारी, पुलिस थाना.–हसौद, जिला–जांजगीर–चंपा, छत्तीसगढ़।, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

2–विकास सोनवानी पिता फिरतराम उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी– ग्राम– पिरदा, थाना– मालखरौदा, जिला– जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़।, जिला–जांजगीर–चांपा, छत्तीसगढ़

3 – संदीप भाई कराथियान पिता प्रवीण बाई ,34 वर्ष, निवासी 405 वृंदावन एन्क्लेव, नारायणपुरा, पुलिस थाना नारायणपुरा, अहमदाबाद, जिला–अहमदाबाद (गुजरात), जिलाःअहमदाबाद, गुजरात

––––अनावेदकगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदक हेतु :––श्री अख्तर हुसैन, अधिवक्ता

राज्य हेतु :––श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, शासकिय अधिवक्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास

सी. ए. वी. आदेश

1. आवेदक द्वारा दं. प्र. सं. कि धारा 397 के तहत वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण याचिका विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला – जांजगीर–चांपा द्वारा एस.टी. क्रमांक 183/2015 में पारित दिनांक 09.08.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने

आवेदक द्वारा दं. प्र. सं. कि धारा 188, 189 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया था, ताकि उसके विरुद्ध वाद चलाने से पहले केंद्र सरकार से मंजूरी का पालन न करने के कारण उसे दोषमुक्त किया जा सके।

2. वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत संक्षिप्त तथ्य यह है कि 20.07.2015 को कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.) के निर्देश के आधार पर तथा ग्रामीणों के परिवाद के आधार पर पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) (22 व्यक्तियों की मलेशिया में तस्करी से संबंधित अपराध) के अंतर्गत दंडनीय कथित अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किया तथा प्रकरण का अन्वेषण प्रारम्भ किया गया । अन्वेषण के दौरान साक्षीयों के कथन तथा अभियुक्तों के ज्ञापन दर्ज किया गया तथा अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात पुलिस ने आवेदक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 107/2015 के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 370(3) के अंतर्गत अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया। आरोप–पत्र दायर करने के पश्चात् विद्वान विचारण न्यायालय ने आरोप विरचित करने के लिए मामला निर्धारित किया और दिनांक 07.12.2016 के आदेश के तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने आवेदक के साथ–साथ अन्य अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 370 (3), 34 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए आरोप विरचित किया है।आरोप विरचित होने के बाद विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.12.2016 द्वारा विचारण कार्यवाही तैयार किया तथा साक्षीयों के बयान दर्ज करने के लिए 17.1.2017 को केस की दिनांक निर्धारित किया गया तथा आज तक 30 साक्षीयों का परीक्षण किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. विचारण के दौरान, 04.08.2018 को आवेदक/अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 189 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि कथित अपराध भारत के बाहर किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विचारण शुरू नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार, पूरी कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर है तथा गैर–कानूनी है तथा अभियुक्त आरोपों से दोषमुक्त होने योग्य है।

4. विद्वान विचारण न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 189 के तहत दायर आवेदन पर अधिवक्ता को सुनने के पश्चात् अपने आदेश दिनांक 09.08.2018 द्वारा इसे खारिज कर दिया है। इस आदेश से व्यथित होकर आवेदक ने वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी है।

5. इस न्यायालय ने दिनांक 29.04.2019 के आदेश के तहत इस दाण्डिक पुनरीक्षण के निर्णय तक विचारण न्यायालय की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि सम्पूर्ण अन्वेषण दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि यह स्थापित विधि है कि यदि कोई अन्वेषण भारत के बाहर किए गए किसी अपराध से संबंधित है, तो अभियोजन पक्ष द्वारा केंद्र सरकार से पूर्व मंजूरी लेना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि दिनांक 09.8.2018 को आक्षेपित आदेश पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय यह देखने में विफल रहा है कि अभियोजन शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की स्वीकृति बहुत आवश्यक है, इसलिए संपूर्ण विचारण

क्षेत्राधिकार के बाहर है और अकेले इस आधार पर संपूर्ण आरोप पत्र और दाण्डिक विचारण अभिखंडित किए जाने योग्य है।

7. उन्होंने आगे कहा कि श्रम विभाग के श्रम निरीक्षक ने भी श्रम न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जांजगीर–चांपा के समक्ष अंतर–राज्य प्रवासी कर्मकार (सेवा का विनियमन और शर्त) अधिनियम, 1979 के उल्लंघन के लिए दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया है, जो दाण्डिक प्रकरण संख्या 354/2016 के रूप में पंजीकृत है और विद्वान मजिस्ट्रेट–सह–श्रम न्यायालय ने परिवाद को खारिज कर दिया है। इसलिए, अभियुक्त पर एक अपराध के लिए दो बार आरोप नहीं लगाया जा सकता है जो संविधान के अनुच्छेद 20 (2) और दं. प्र. सं. की धारा 300 का उल्लंघन है। इस प्रकार, वह विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित पूरे वाद को अभिखंडित करने के लिए प्रार्थना करते है।

8. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि चूंकि मजदूरों को जांजगीर–चंपा से ले जाया गया है और उन्हें मलेशिया भेजा गया है, इसलिए कार्यवाही का कुछ हिस्सा भारत में किया गया है, इसलिए केंद्र सरकार से कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है और यह तर्क दिया गया है कि दाण्डिक कार्यवाही प्रारम्भ करना विधि के अनुरूप है और परिवाद को खारिज करने की प्रार्थना करते है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और इस न्यायालय के समक्ष रखे गए आदेश और दस्तावेजों को अवलोकन किया है।

10. आवेदक पर जांजगीर–चंपा से मजदूरों को मलेशिया भेजने का आरोप लगाया गया था, इसलिए विद्वान द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शक्ति ने धारा 370 (3) के साथ धारा 34 के तहत आरोप विरचित किया हैं।सत्र न्यायाधीश ने आवेदक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित किया हैं::----------

आपने घटना दिनांक 20/07/2015 के करीब 1 वर्ष पूर्व घटना स्थल ग्राम परसदा एवं आसपास के क्षेत्र थाना हसौद, जिला जांजगीर चांपा क्षेत्रांर्गत अन्य अभियुक्तगण विकास सोनवानी, संदीप करथिया के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में ग्राम परसदा के अघनबाई, भूरीबाई, पूजा बर्मन एवं ग्रामीण तथा आसपास के क्षेत्र के लोग सहित कुल 22 मजदूरो को अलग किश्तों में ग्राम पंचायत पलायन रजिस्टर नाम दर्ज कराये बिना व श्रम अधिकारी को सूचना दिये बगैर मलेशिया फैक्ट्री में काम करने हेतु ज्यादा मजदूरी दिलाने, चिकित्सा सुविधा एवं अन्य सुविधा दिलाने का प्रवचना कर एवं प्रलोभन देकर कपटपूर्वक यूरोप्लास्टिक फैक्ट्री के सुभंग जलाने उटराईट यूएस/ए कुवालालम्पुर मलेशिया ले गये, कोई सुविधा उपलब्ध नही कराया गया और उनके द्वारा वहा काम नही करना चाहने पर उनको बंधकर बनाकर प्रताड़ित कर मानव दुर्व्यापार कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपारधिक कृत्य किया जो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 370 (3) सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दंडनीय है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्रांर्गत है।

11.आरोपों से यह स्पष्ट है कि आवेदक कथित रूप से जांजगीर चांपा से मलेशिया में 22 मजदूरों की तस्करी में शामिल है, जिससे स्पष्ट है कि अपराध का कुछ हिस्सा भारत की धरती पर किया गया था। इस प्रकार, सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अपराध की जांच और सुनवाई भारतीय न्यायालयों द्वारा की जा सकती है।चूंकि अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर नहीं किया गया था, इसलिए , दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 188 के प्रावधान के अनुसार किसी भी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं थी। धारा 188 के तहत स्वीकृति की आवश्यकता से सम्बंधित प्रकरण –सरताज खान बनाम उत्तराखंड राज्य {(2022) 13 एससीसी 136} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आई है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है: "12. संहिता की धारा 188 निम्नलिखित प्रभाव के लिए है: ----

188. भारत के बाहर किया गया अपराध। – जब कोई अपराध भारत के बाहर किया जाता है –

(ए) भारत के नागरिक द्वारा, चाहे समुद्र में या कहीं और; या

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो ऐसा नागरिक नहीं है, भारत में पंजीकृत किसी जहाज या वायुयान पर, ऐसे अपराध के संबंध में उसके साथ इस प्रकार व्यवहार किया जा सकेगा मानो वह भारत के भीतर किसी ऐसे स्थान पर किया गया हो जहां वह पाया जा सकता है: परंतु कि इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या विचारण केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. धारा 188 के अनुसार, यदि कोई अपराध भारत के बाहर भी किया जाता है, (क) किसी नागरिक द्वारा, चाहे वह समुद्र में हो या कहीं और, या (ख) किसी गैर–नागरिक द्वारा भारत में पंजीकृत जहाज या विमान पर, तो भी अपराध की सुनवाई भारत में की जा सकती है, परंतु उक्त धारा में उल्लिखित शर्तें पूरी हों।

यह धारा तब लागू होती है जब अपराध की संपूर्णता भारत के बाहर की जाती है; और मंजूरी दिए जाने से ऐसे अपराध की भारत में जांच या सुनवाई की जा सकेगी।

14. जैसा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां दर्शाती हैं, अपराध का एक हिस्सा निश्चित रूप से इस देश की धरती पर किया गया था और इसलिए सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अपराध की जांच और विचारण भारतीय न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है।चूंकि अपराध पूरी तरह से भारत के बाहर नहीं किया गया था, इसलिए यह मामला संहिता की धारा 188 के दायरे में नहीं आता और धारा 188 के प्रावधान के अनुसार किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।अतः, हम श्री शर्मा द्वारा दिए गए पहले निवेदन को अस्वीकार करते हैं।"

12. उपर्युक्त विधिक स्थिति और आरोप पत्र तथा अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्रित सामग्री से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि

अपराध का एक भाग जांजगीर–चांपा में किया गया था, जो कि भारत का भाग है। इस प्रकार, विद्वान द्वितीय सत्र न्यायाधीश द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि पूरा अपराध मलेशिया में नहीं किया गया है, बल्कि कोलकाता, मुंबई

और जांजगीर–चांपा में किया गया है, दोषपूर्ण नहीं पाया जा सकता है। माना जा रहा है।अतः, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि मलेशिया में किया गया कथित अपराध, इसलिए, केंद्र सरकार से मंजूरी आवश्यक है, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से खारिज कर दी गई है, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का औचित्य नहीं रखती है। 13.अब, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि उसे पहले ही अंतर–राज्यीय प्रवासी कामगार (सेवा का विनियमन और शर्त) अधिनियम, 1979 के तहत आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, इसलिए, उन्हीं आरोपों के लिए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दाण्डिक कार्यवाही जारी रखना दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 300 के अनुसार दोहरा खतरा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) का उल्लंघन माना जाता है।

14. इस बिन्दु को समझने के लिए इस न्यायालय के लिए विधि के सुसंगत प्रावधानों को उद्धृत करना समीचीन है, जो इस प्रकार हैं:––––**दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 300 –**

एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए वाद नहीं चलाया जाएगा –

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार मुकदमा चलाया जा चुका है और वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया गया है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रभावी रहती है, उस पर उसी अपराध के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा, न ही उसी तथ्य के आधार पर किसी अन्य अपराध के लिए वाद चलाया जा सकेगा, जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था, या जिसके लिए उसे उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।

2. किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर राज्य सरकार की सहमति से बाद में किसी ऐसे विशिष्ट अपराध के लिए वाद चलाया जा सकता है जिसके लिए धारा 220 की उपधारा (1) के अधीन पूर्ववर्ती मुकदमे में उसके विरुद्ध पृथक आरोप लगाया जा सकता था।

3. किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो किसी ऐसे कार्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध है, जिसके परिणाम ऐसे कार्य के साथ मिलकर उस अपराध से भिन्न अपराध बनते हैं जिसके लिए उसे दोषसिद्ध किया गया था, बाद में ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए वाद चलाया जा सकता है, यदि परिणाम उस समय नहीं हुए थे या न्यायालय को ज्ञात नहीं था कि वह हुआ था, जब उसे दोषसिद्ध किया गया था।

4.....किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो किसी कार्य द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषी ठहराया गया है, ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि के बावजूद, बाद में उसी कार्य द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए आरोप लगाया जा सकता है और उसके लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, जो उसने किया हो, यदि वह न्यायालय, जिसके द्वारा उस पर प्रथम बार वाद चलाया गया था, उस अपराध का वाद चलाने के लिए सक्षम नहीं था, जिसका उस पर बाद में आरोप लगाया गया है।

5. धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा, जिससे वह उन्मोचित किया गया था, या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के बिना नहीं, जिसके अधीन प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है।

6.....इस धारा की कोई बात साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 26 या इस संहिता की धारा 188 के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी।**भा.दं. सं. की धारा 370:व्यक्तियों की तस्करी जो कोई शोषण के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को**

(क) भर्ती करता है, (ख) परिवहन करता है, (ग) शरण देता है, (घ) स्थानांतरित करता है, या (ङ) प्राप्त करता है, 1. धमकी देकर, या

2. बल प्रयोग करके, या किसी अन्य प्रकार का दबाव डालकर,

या 3. अपहरण करके,

या 4. कपट या छल करके,

या 5. सत्ता का दुरुपयोग करके,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

या 6. भर्ती, परिवहन, आश्रय, स्थानांतरित या प्राप्त व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति प्राप्त करने के लिए भुगतान या लाभ देने या प्राप्त करने सहित प्रलोभन द्वारा, तस्करी का अपराध करता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 (2)

अनुच्छेद 20 (2)–किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध हेतु एक से अधिक बार वाद नहीं चलाया जाएगा तथा दंडित नहीं किया जाएगा।

धारा 26 सामान्य खंड अधिनियम –

26. दो या अधिक अधिनियमों के अधीन दंडनीय अपराधों के बारे में उपबंध –

जहां कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है, तो अपराधी को उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी के तहत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।

15. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार (सेवा का विनियमन और शर्त) अधिनियम के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि मानव तस्करी के लिए अपराध के संज्ञान के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह अधिनियम अंतरराज्यीय प्रवासी कामगारों के रोजगार को विनियमित करने और उनकी सेवा की शर्त और उससे संबंधित मामलों जैसे भर्ती, मजदूरी आदि के लिए प्रावधान करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई कार्य या चूक भा.दं. सं. के तहत अपराध का गठन कर सकता है और साथ ही

1979 के अधिनियम के तहत अपराध हो सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 के अनुसार दोनों अधिनियमों के तहत अपराधी के वाद या दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंड पर रोक है।यह विवाद्यक अरुणाचल प्रदेश राज्य बनाम रामचंद्र रबीदास @ रतन रबीदास और अन्य {(2019) 10 एससीसी 75} के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाहै::----------

9. यह सुस्थापित है कि कोई कार्य या चूक भा.दं. सं. के तहत अपराध हो सकती है और साथ ही, किसी अन्य कानून के तहत भी अपराध हो सकती है, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष कि दो क़ानूनों अर्थात एम.वी. एक्ट और आईपीसी के तहत अपराधियों के खिलाफ़ वाद चलाना असंतुलित और विधि के विपरीत है, इसलिए खारिज किया जाता है।

10. टी.एस. बलियाह बनाम टी.एस. रंगाचारी के मामले में भी इसी तरह का विवाद्यक उठा था, जिसमें अपीलकर्ता पर भा.दं. सं. की धारा 177 और आयकर अधिनियम, 1922 की धारा 52 के तहत वाद चलाया गया था।इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"6. हम इस मामले में उठने वाले अगले प्रश्न पर विचार करते हैं कि क्या अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 और 1922 अधिनियम [आयकर अधिनियम, 1922] की धारा 52 के तहत एक ही समय में वाद चलाया जा सकता है। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि सामान्य खंड अधिनियम (1897 का अधिनियम 10) की धारा 26 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता पर या तो 1922 अधिनियम की धारा 52 के तहत या भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत वाद चलाया जा सकता है, न कि एक ही समय में दोनों धाराओं के तहत। हम इस तर्क को सही मानने में असमर्थ हैं। सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है:

"26. दो या दो से अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों के बारे में प्रावधान।जहां कोई कार्य या चूक दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है, तो अपराधी को उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी एक के तहत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। "

धारा को सरलता से वाचन करने पर ज्ञात होता है कि दोनों अधिनियमों के तहत अपराधी के वाद या दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, लेकिन एक ही अपराध के लिए अपराधी को दो बार दंडित करने पर रोक है। दूसरे शब्दों में, धारा यह प्रावधान करती है कि जहां कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है, तो अपराधी को उन अधिनियमों में से किसी एक या दोनों के तहत अभियोजित और दंडित किया जा सकता है, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार हम मामले के इस पहलू पर अपीलकर्ता के तर्क को अस्वीकार करते हैं।" [जोर दिया गया]

11. इसी तरह, महाराष्ट्र राज्य बनाम सैय्यद हसन मामले में, आरोपी पर खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 और 30 के साथ–साथ प्रतिबंधित गुटखा/पान मसाला के परिवहन और विक्रय हेतु भा.दं. सं. की धारा 188, 272, 273 और 328 के तहत वाद चलाया गया था।
उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 55 एक विशेष अधिनियम में बनाया गया एक विशिष्ट प्रावधान है, इसलिए भा.दं. सं. की धारा 188 लागू नहीं होती है। उच्चतम न्यायालय ने मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया और कहा कि:

"8. दो अलग–अलग अधिनियमों के तहत किसी अपराधी के खिलाफ वाद चलाने या उसे दोषी ठहराने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन रोक केवल अपराधी को अपराध के लिए दो बार दंड देने पर है।जहाँ कोई कार्य या चूक दो अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करती है, वहाँ अपराधी पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे एक या दोनों अधिनियमों के तहत दंडित किया जा सकता है, लेकिन उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता है।संभवतः मामलों में तथ्यों का एक ही समूह दो अलग–अलग कानूनों के तहत अपराध का गठन कर सकता है।कोई कार्य या चूक भा.दं. सं. के तहत अपराध का गठन कर सकती है और साथ ही किसी अन्य विधि के तहत अपराध का गठन कर सकती है।

उच्च न्यायालय को जनरल क्लॉज एक्ट, 1897 की धारा 26 पर ध्यान देना चाहिए था, जो इस प्रकार है:

"दो या अधिक अधिनियमों के तहत दंडनीय अपराधों के बारे में प्रावधान – जहां कोई कार्य या लोप दो या अधिक अधिनियमों के तहत अपराध का गठन करता है, तो अपराधी उन अधिनियमों में से किसी एक या किसी के तहत अभियोजित और दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. हट सिंह के मामले में इस न्यायालय ने दोहरे खतरे के सिद्धांत और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 26 पर चर्चा की, ताकि यह देखा जा सके कि दो अलग–अलग अधिनियमों के तहत अभियोजन की अनुमति है, यदि प्रावधानों के तत्व समान तथ्यों पर संतुष्ट हैं।खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के लिए उत्तरवादी के अभियोजन के बारे में विवाद पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने राज्य (एनसीटी दिल्ली) बनाम संजय में माना कि दंड संहिता के तहत व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में कोई रोक नहीं है, जहां व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध दंडनीय और संज्ञेय अपराध हैं।।एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि भा.दं. सं. के तहत अभियोजन के लिए केवल इसलिए कोई रोक नहीं है क्योंकि एफएसएस अधिनियम के प्रावधान दंड निर्धारित करते हैंअतः, हम पहले बिंदु पर उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को अपास्त कर देते हैं।" [जोर दिया गया]

12. मोटर वाहन अधिनियम और विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XIII का विधायी उद्देश्य, मोटर वाहन दुर्घटनाओं में अपराधियों के दंड के संबंध में भा.दं. सं. के प्रावधानों को रद्द करना या उनका स्थान लेना नहीं था। मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय XIII के तहत अपराध, भा.दं. सं. की धारा 297, 304,

304A, 337 और 338 के तहत प्रावधानों की प्रयोज्यता को समाप्त नहीं कर सकते है। ये अपराध एक दूसरे से अतिच्छादन नहीं होते हैं, और इसलिए, "जनरलिया स्पेशलिबस नॉनडेरोगेंट" की कहावत लागू नहीं होती है, और इसे लागू नहीं किया जा सकता था। भा.दं. सं. के तहत निर्धारित अपराध, मोटर वाहन अधिनियम के तहत निर्धारित अपराधों से स्वतंत्र हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि भा.दं. सं. के तहत सड़क यातायात/मोटर वाहन अपराधियों के खिलाफ वाद चलाना भा.दं. सं. की धारा 5 का उल्लंघन करेगा, जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा है, जहाँ तक मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड का संबंध है।

17. इस प्रकार हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि यदि अभियोजन अन्यथा स्वीकार्य है, तो यह भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम दोनों के अंतर्गत आएगा, क्योंकि दोनों ही कानून अपने–अपने स्वतंत्र क्षेत्रों में पूर्ण शक्ति के साथ कार्य करते हैं।यह अवधारणा करते हुए भी कि मोटर वाहन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के कुछ प्रावधान एक दूसरे से अतिछादन हो रहे हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों विधियो के तहत अपराध असंगत हैं।

16. उपर्युक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति से और भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(2)) तथा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 300 के प्रावधानों पर विचार करते हुए, यह सुस्पष्ट है कि संविधान के साथ–साथ दं. प्र. सं. में निहित प्रतिबंध आवेदक के मामले में लागू नहीं होता है क्योंकि आवेदक पर विभिन्न अधिनियमों के तहत दो अलग–अलग अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है।विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष उस पर धारा 370 के अनुसार व्यक्तियों की तस्करी का आरोप लगाया गया था और श्रम न्यायालय के समक्ष उस पर 1979 के अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था, जो मानव तस्करी से संबंधित नहीं है, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि दोनों अपराध अलग–अलग हैं और वे विभिन्न अधिनियमों के तहत विचारणीय हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदक के विरुद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाही मानव तस्करी से संबंधित थी और 1979 के अधिनियम के तहत यह प्रवासी श्रमिकों की सेवा शर्तों से संबंधित है। दोनों प्रावधान अलग–अलग क्षेत्र में काम करते हैं, ऐसे में दिनांक 09.02.2018 का आक्षेपित आदेश अभिखंडित करने योग्य नहीं है, इसलिए वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

18. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2019 को पारित अंतरिम आदेश निरस्त किया जाता है।

19.तदनुसार,दाण्डिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया जाता है।

सही/–
(नरेंद्र कुमार व्यास)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur